



॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांक: 982

/ 12-1

दिनांक, गोपेश्वर,

अगस्त 28/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी।

विषय:-

जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के कि०मी० 5.00 के स्वार्का बैंड से हरिजन बस्ति ग्राम कलाकोट होते हुए बनियास तक मोटर मार्ग हेतु 0.595 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

प्रस्ताव सं० FK/UK/Road/153238/2022.
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या-2579/12-1, दिनांक 21.04.2025.

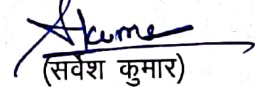
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के कि०मी० 5.00 के स्वार्का बैंड से हरिजन बस्ति ग्राम कलाकोट होते हुए बनियास तक मोटर मार्ग के हेतु 0.595 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा तीन बिन्दुओं की सूचना चाही गयी, जिसका निम्नानुसार निराकरण कर अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग की पत्र संख्या-1668/10एल०ए०, दिनांक-19.08.2025 से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है-

क्र०सं०	चाही गयी सूचना	आख्या
1.	मूल प्रस्ताव की प्रति जिसे अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की जानी है के इन्डैक्स में अंकित पृष्ठ संख्या एवं प्रस्ताव के पृष्ठों पर अंकित पृष्ठ संख्या में भिन्नता उत्पन्न हो रही है, साथ ही प्रस्ताव के पृष्ठों पर पूर्ण पृष्ठ संख्या भी अंकित नहीं की गयी है, जिस कारण से संलग्नकों का मिलान नहीं हो पा रहा है।	पृष्ठों पर सही पृष्ठ संख्या अंकित कर दी गयी है।
2.	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-73, के उपरान्त 74 से 79 तक पृष्ठ संख्या अंकित नहीं है, सीधे पृष्ठ संख्या-80 अंकित की गयी है।	पृष्ठों पर सही पृष्ठ संख्या अंकित कर दी गयी है।
3.	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-83 के उपरान्त 10 पृष्ठों पर कोई पृष्ठ संख्या अंकित नहीं है, 10 पृष्ठों के उपरान्त सीधे पृष्ठ संख्या-84 अंकित की गयी है।	पृष्ठों पर सही पृष्ठ संख्या अंकित कर दी गयी है।

अतः उक्त प्रस्ताव में चाही गयी सूचनाओं का निराकरण कर प्रस्ताव की तीन मूल प्रतियां इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही हैं, कि आप अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।
संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

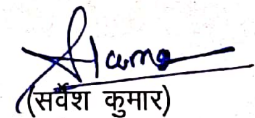

(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- 982 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

0/C

